

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 579]

रायपुर, बुधवार, दिनांक 11 नवम्बर 2020 — कार्तिक 20, शक 1942

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 11 नवम्बर 2020

अधिसूचना

क्रमांक एफ 11-01/2019/सात-4.— छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्र. 20 सन् 1959) की धारा 13 की उप-धारा (2) के परन्तुक में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, एतद्वारा, यह सूचना दी जाती है कि उक्त संहिता की धारा 13 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट तहसील की सीमाओं को परिवर्तित, कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट नवीन तहसील सृजित तथा इसमें विनिर्दिष्ट अनुसार उनकी सीमाओं को परिभाषित करती है, जिसे उक्त अधिनियम की धारा 13 द्वारा अपेक्षित किये गए अनुसार पूर्व में ही प्रकाशित किया जा चुका है, अर्थात :-

अनुसूची

स.क.	जिला	वर्तमान तहसील	नवीन तहसील	परिवर्तन का स्वरूप	नवीन तहसील की सीमाएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	बिलासपुर	तखतपुर	संकरी	राजस्व निरीक्षक मण्डल गनियारी के पटवारी हल्का नं. 18, 19, 20, 21, 22, 50, 51, 52, 58 एवं 59 के कुल 24 ग्राम। राजस्व निरीक्षक मण्डल पेण्डारी के पटवारी हल्का नं. 40, 42, 46, 47, 48, 49, 53 एवं 54 के कुल 17 ग्राम। राजस्व निरीक्षक मण्डल संकरी के पटवारी हल्का नं. 43, 44, 45, 60 एवं 61 के कुल 06 ग्राम। राजस्व निरीक्षक मण्डल अमसेना के पटवारी हल्का नं. 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 एवं 41 के कुल 27 ग्राम। अतः, 31 पटवारी हल्के के कुल 74 ग्राम, नवीन तहसील “संकरी” में	उत्तर — तहसील कोटा दक्षिण — तहसील बिल्हा पूर्व — तहसील बिलासपुर पश्चिम — तहसील तखतपुर

				शामिल होंगे।	
2	बिलासपुर	कोटा	रतनपुर	राजस्व निरीक्षक मण्डल रतनपुर के पटवारी हल्का नं. 35, 36, 37, 39 एवं 44 के कुल 12 ग्राम। राजस्व निरीक्षक मण्डल चपोरा के पटवारी हल्का नं. 15, 17, 18, 19, 20, 38, 40, 41 एवं 42 के कुल 37 ग्राम। अतः 14 पटवारी हल्के के कुल 49 ग्राम, नवीन तहसील "रतनपुर" में शामिल होंगे।	उत्तर —तहसील कोटा दक्षिण —तहसील बिलासपुर पूर्व —तहसील पाली (कोरबा) पश्चिम —तहसील कोटा
3	बिलासपुर	कोटा	बेलगहना	राजस्व निरीक्षक मण्डल बेलगहना के पटवारी हल्का नं. 06, 07, 08, 09, 12, 13, 14, 16, 46 एवं 47 के कुल 40 ग्राम। राजस्व निरीक्षक मण्डल टेंगनमाड़ा के पटवारी हल्का नं. 01, 02, 03, 04, 05, 10, 11, 43 एवं 46 के कुल 26 ग्राम। अतः कुल 19 पटवारी हल्के के कुल 66 ग्राम, नवीन तहसील "बेलगहना" में शामिल होंगे।	उत्तर —तहसील पेण्डारोड दक्षिण —तहसील कोटा पूर्व —तहसील पाली (कोरबा) पश्चिम —तहसील बिलासपुर
4	जशपुर	बगीचा	सन्ना	राजस्व निरीक्षक मण्डल सन्ना के पटवारी हल्का नं. 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10 एवं 13 के कुल 39 ग्राम। राजस्व निरीक्षक मण्डल पण्डरापाठ के पटवारी हल्का नं. 01, 02, 11, 12, 14, 15, 16, 17 एवं 18 के कुल 25 ग्राम। अतः कुल 18 पटवारी हल्के के कुल 64 ग्राम, नवीन तहसील "सन्ना" में शामिल होंगे।	उत्तर — जिला सरगुजा दक्षिण — तहसील बगीचा पूर्व — तहसील मनोरा पश्चिम — जिला सरगुजा
5	सरगुजा	अम्बिकापुर	दरिमा	राजस्व निरीक्षक मण्डल दरिमा के पटवारी हल्का नं. 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 54 एवं 55 के कुल 51 ग्राम। अतः कुल 20 पटवारी हल्के के कुल 51 ग्राम, नवीन तहसील "दरिमा" में शामिल होंगे।	उत्तर — अंबिकापुर तहसील का मानिक प्रकाशपुर एवं लुण्ड्रा दक्षिण — तहसील मैनपाट पूर्व — तहसील मैनपाट एवं लुण्ड्रा पश्चिम — तहसील अंबिकापुर एवं लखनपुर

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम.डी.दीवान, संयुक्त सचिव.

Atal Nagar, the 11th November 2020

NOTIFICATION

No. F 11-01/2019/Seven-4.— In pursuance of the provision contained in the proviso to sub-section (2) of section 13 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), notice is hereby given that in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 13 of the said Code, the State Government, alters the limits of Tehsil specified in column (3), create a new Tehsil specified in column (4) and defines the limits thereof as specified in Schedule below, the same having been previously published as required by Section 13 of the said Code, namely :-

SCHEDULE

S.No.	District	Present Tehsil	New Tehsil	Nature of Change	Boundaries of new Tehsil
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Bilaspur	Takhatpur	Sankari	Total 24 villages of Patwari Halka No. 18, 19, 20, 21, 22, 50, 51, 52, 58 and 59 of Revenue Inspector Mandal Ganiyari. Total 17 villages of Patwari Halka No. 40, 42, 46, 47, 48, 49, 53 and 54 of Revenue Inspector Mandal Pendari. Total 06 villages of Patwari Halka No. 43, 44, 45, 60 and 61 of Revenue Inspector Mandal Sankari. Total 27 villages of Patwari Halka No. 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 and 41 of Revenue Inspector Mandal Amsena. Hence, 74 villages of total 31 Patwari Halka shall be included in new Tehsil "Sankari".	North - Tehsil Kota. South - Tehsil Belha. East - Tehsil Bilaspur. West - Tehsil Takhatpur.
2	Bilaspur	Kota	Ratanpur	Total 12 villages of Patwari Halka No. 35, 36, 37, 39 and 44 of Revenue Inspector Mandal Ratanpur. Total 37 villages of Patwari Halka No. 15, 17, 18, 19, 20, 38, 40, 41 and 42 of Revenue Inspector Mandal Chapora. Hence, 49 villages of total 14 Patwari Halka shall be included in new Tehsil "Ratanpur".	North - Tehsil Kota. South - Tehsil Bilaspur. East - Tehsil Pali (Korba). West - Tehsil Kota.
3	Bilaspur	Kota	Belgahna	Total 40 villages of Patwari Halka No. 06, 07, 08, 09, 12, 13, 14, 16, 46 and 47 of Revenue Inspector Mandal Belgahna. Total 26 villages of Patwari Halka No. 01, 02, 03, 04, 05, 10, 11, 43 and 46 of Revenue Inspector Mandal Tenganmada. Hence, 66 villages of total 19 Patwari Halka shall be included in new Tehsil "Belgahna".	North - Tehsil Pendraroad. South - Tehsil Kota. East - Tehsil Pali (Korba). West - Tehsil Bilaspur.
4	Jashpur	Bageecha	Sanna	Total 39 villages of Patwari Halka No. 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10 and 13 of Revenue Inspector Mandal Sanna. Total 25 villages of Patwari Halka No. 01, 02, 11, 12, 14, 15, 16, 17 and 18 of Revenue Inspector Mandal Pandrapath.	North - Distt. Sarguja. South - Tehsil Bageecha. East - Tehsil Manora West - Distt. Sarguja.

				Hence, 64 villages of total 18 Patwari Halka shall be included in new Tehsil "Sanna".	
5	Sarguja	Ambikapur	Darima	Total 51 villages of Patwari Halka No. 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 54 and 55 of Revenue Inspector Mandal Darima. Hence, 51 villages of total 20 Patwari Halka shall be included in new Tehsil "Darima".	North - Manikprakashpur and Lundra Tehsil of Ambikapur. South - Tehsil Mainpat. East - Mainpat and Lundra Tehsil. West - Ambikapur and Lakhanpur Tehsil.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
M.D.DIWAN, Joint Secretary.